

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी

जानकी पुत्री परमसुख

बनाम

सरूप पुत्र सुरतान वर्मा

स्वाई निवेद्याला

नं०

४२

सन्

२०१५

(188 RT Act 1955)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलया जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज के
उपरांत भी वादी अहम उनके अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हैं। वादी वाद के प्रति पूर्णतः उदासीन
प्रतीत होता है। अतः वाद अदम हाजरी एवं
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

19.10.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (कर्वी)

